(98)

न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

निगरानी-3498/2018/रीवा/भू.रा

1-चन्द्रकान्त पटेल पिता स्व.श्री शम्भू प्रसाद पटेल, निवासी ग्राम गाड़ा

2- रामादर्श पिता स्व.श्री शम्भू प्रसाद पटेल, निवासी ग्राम गाड़ा,

दोनो का थाना शाहपुर, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0,

:------- निगरानीकर्तागण

बनाम

1- श्री जानकी प्रसाद पटेल पिता श्री जमुना प्रसाद पटेल साकिन गाड़ा,

2- श्रीमती श्यामकली पटेल पति श्री जानकी प्रसाद पटेल, साकिन गाड़ा

दोनो का थाना शाहपुर, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0,

:--------- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश माननीय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना, जिलारीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र. 211/ए-27/2016-17 व पारित आदेश दिनांक 18.05.2018, निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई. ।

============================

धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि 06.6.18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15.6.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.5.18 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैरनिगरानीकर्ता क्र. 1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी / 3498 / 2018 / रीवा / भू0रा0 जिला रीवा

चन्द्रकान्त पटेल आदि विरूद्ध जानकी प्रसाद पटेल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-2-2019	आवेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 211 / ए-27 / 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18-5-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 18/2/2019 सदस्य	